रजिस्ट्री सं० डी-(डी)--73

REGISTERED NO. D-(D)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1975 (वैसाख 6, 1897)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1975 (VAISAKHA 6, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 31 मार्च 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं--
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 31st March 1975 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
54	सं० आर० एस० 1/1/75, दिनांक 31 मार्च 1975 No. RS. 1/1/75-L, dated the 31st March, 1975	राज्य सभा सचिवालय Rajya Sabha Secretariat	राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सत्रावसान । Rajya Sabha prorogued be the President.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांगपत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 349

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 549

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 565

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 1175

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 1591

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 279

भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 3077

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 259

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं —

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1137

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस . 67

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 349

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 549

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence. 565

PART II—SECTION 1.—Acts. Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills. .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 1175

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 591

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 279

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 3077

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 259

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1137

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 67

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1975

सं० 24-प्रेज/75—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री मेनथुपरांबिल कुंजुनी दिवाकरन, (मरणोपरांत)
   वेल्लूर, पो० ओ० पुतेनपोड़िका,
   त्रिचूर,
   केरल।

24 अगस्त, 1973 को लगभग 1 बजे अंतिकाड़ हाई स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र श्री मेनथुपरांबिल कुंजुनी दिवाकरन ने अंतिकाड़ लोअर प्राईमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के दो छोटे बालकों को बिजली के तार से छू जाने के कारण अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जिन पर वह तार गिरा हुआ था और जिसमें बिजली का करेंट आ रहा था। वह उन्हें बचाने के लिए दौड़े और उन्होंने एक छड़ी की सहायता से तार को उनसे अलग हटा दिया। ऐसा करते समय दुर्भाग्य से तार उन पर आ गिरा और बिजली से छू जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

श्री मेनथुपरांबिल कुंजुनी दिवाकरन ने अपने जीवन की बलि देकर दो बालकों को बचाने में उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

2. श्री मोहन साहू, (मरणोपरांत)
   गणपाड़ा, दुर्ग,
   मध्य प्रदेश।

दुर्ग नगर में 22 अगस्त, 1973 की रात को लगभग 8.25 बजे, 15 बालक भगवान कृष्ण की प्रतिमा को गंजपाड़ा मुहल्ले के 'बंध तालाब' में विसर्जित करने के लिए एक छोटी नाव में गए जिसे द्वारिका यादव और प्यारे चला रहे थे। तट से लगभग 25 फुट की दूरी पर अचानक नाव उलट गई। इस उपद्रव का पता चलते ही श्री मोहन साहू और कुछ और लोग तट की ओर दौड़े। श्री मोहन साहू ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तालाब में छलांग लगा दी और डूबते हुए सभी बालकों को बचा लिया। उनमें से तीन की हालत खराब थी इसलिए श्री साहू उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए। इन बालकों को बचाने में श्री साहू बुरी तरह थक गए थे। कुछ ही देर बाद वह गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई।

डूबते हुए बच्चों को बचाने में श्री मोहन साहू ने बड़े जोखिम की स्थिति में उत्कृष्ट साहस और धैर्य का परिचय दिया और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

सं० 25-प्रेज०/75—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. कुमारी सरस्वती बाई,
   द्वारा श्री काशी राम धीमर,
   कोट्टी बाजार,
   होशंगाबाद,
   मध्य प्रदेश।

29 अगस्त से 31 अगस्त, 1973 तक तावा और नर्मदा नदियों में विध्वंसकारीबाढ़ के परिणामस्वरूप 1800 की आबादी वाला सम्पूर्ण मालखेड़ी गांव अलग-थलग पड़ गया था और जगह-जगह पर लोग बाढ़ में घिर गए थे। वे छतों और पेड़ों पर अटके पड़ थे। ज्यादातर नौकाएं या तो डूब गईं या बह गईं थीं और लोगों के बचने की कोई आशा न रही। ऐसी परिस्थिति में मछियारे की 15 वर्षीय लड़की कुमारी सरस्वती बाई ने बाढ़ ग्रस्त लोगों को बचाने के कार्य में सहायता करने के लिए अपने बीमार पिता को तैयार किया। उसके पिता की नाव दूर किसी स्थान पर बंधी हुई थी जहां तत्काल पहुंचना कठिन था। वह नाव लाने के लिए तैर कर पार गई, उसे स्वयं चलाकर हर छत तक गई और डूबते हुए व्यक्तियों को बचा लिया। उसने 31 अगस्त, 1973 को सबेरे 8 बजे बचाव कार्य शुरू किया था और बिना रुके शाम तक यह कार्य करती रही। उसके इस वीरतापूर्ण कार्य के फलस्वरूप 96 व्यक्तियों की जान बची। श्री लक्ष्मी नारायण और उसके पुत्र बेनी प्रसाद को बचाने के लिए उसने तेज धारा के विरुद्ध लगभग 1 कि० मी० नाव चलाई।

कुमारी सरस्वती बाई ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए बाढ़ में घिरे हुए ग्रामीणों को बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री बिन्देश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, (मरणोपरांत)
ग्राम और डाकखाना घटोहा,
थाना दाल सिंह सराय,
जिला दरभंगा,
बिहार।

18 मार्च, 1973 की रात के लगभग 8 बजे नूनुडीह जीतपुर कोयला खान में एक पतली पर्त में गैस विस्फोट हुआ। उस समय श्री बिन्देश्वर प्रसाद श्रीवास्तव डाउन कास्ट शैफ्ट के नीचे के ढाल पर स्थित हाई टेंशन पंप हाउस में थे। अन्दर फंसे ज्यादातर कर्मचारी तो अपनी जान बचाते हुए भाग निकले लेकिन श्री श्रीवास्तव अपने दो सहयोगियों सर्वश्री निरंजन सिंह और रामदानी को खान से सुरक्षा पूर्वक बाहर निकलने में उनकी सहायता करने के लिए रुके रहे। दोनों ही इस घोर विपत्ति से बच निकले। उस समय तक पंप हाउस में विषाक्त गैसें फैल चुकी थीं और श्री श्रीवास्तव पर उनका कुप्रभाव हो गया। यद्यपि उन्हें जीवित निकाल लिया गया परन्तु वे सांस द्वारा ली गई कार्बन मोनोक्साइड की भारी मात्रा को बर्दाश्त नहीं कर सके और 15 दिन बाद धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

श्री बिन्देश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने दो साथियों के जीवन को बचाने में अत्यधिक साहस और तत्परता का परिचय देते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

3. श्री कृष्ण सिंह, (परणोपरांत)
गांव पीपरा, डाकघर शाहजादपुर,
थाना बनियापुर,
जिला छपरा,
बिहार।

18 मार्च, 1973 को रात के लगभग 8 बजे नूनुडीह कोयला खान में एक पतली पर्त में गैस का विस्फोट हुआ। उस समय श्री कृष्ण सिंह शाफ्ट के पश्चिम में एम० आई०/टी० आई० पेनल में कार्य संचालन की देखभाल कर रहे थे। जिन चार अन्य कर्मचारियों को विस्फोट में चोट नहीं आई थी, उनके साथ वे शाफ्ट की ओर बाहर जाने लगे। जब श्री सिंह ने देखा कि उस क्षेत्र में कुछ और कर्मचारी उपस्थित हैं तो वे चार कर्मचारियों को बाहर निकालकर शेष कर्मचारियों की सहायता करने के लिए वापस गए। फैली हुई विषाक्त गैसों का उन पर असर हो चुका था जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनका शव पाया गया। श्री कृष्ण सिंह ने जिन चार व्यक्तियों की सहायता की थी उनमें से केवल एक ही बच पाया।

श्री कृष्ण सिंह ने, अपने साथियों का जीवन बचाने में अपने साहस का परिचय देते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

4. श्री रंगनाथ रघु माली,
नानेगांव, तालुका पैठण,
जिला औरंगाबाद,
महाराष्ट्र।

12 मार्च, 1973 को दोपहर के लगभग 12 बजे औरंगाबाद जिले में नानेगांव में सामुदायिक कुएं में सुरंग लगाने का काम चल रहा था। इस काम की जांच के लिए एक मजदूर, श्री राजपूत राम, कुएं में उतरा और कुएं में दम घुटने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद श्री प्रभु लक्ष्मण, श्री रोहिदास राम और श्री रोहिमत राम ने अपने साथियों को बचाने के लिए कुएं में प्रवेश किया। ये चारो मजदूर बेहोश हो गए और एक दूसरे की सहायता करने में असमर्थ थे। यह देखकर श्री रंगनाथ रघु माली अपने साथियों की सहायता करने के लिए अपने साथ कुछ पानी लेकर कुएं में गए। उन्होंने फंसे हुए मजदूरों को पानी दिया और फिर बाहर अपने साथियों से कहा कि उन्हें ऊपर खींचें। ऊपर आते हुए वे भी बेहोश हो गए। लेकिन होश आने के तुरन्त बाद वे अपने फसे हुए साथियों को बचाने के लिए फिर से कुएं में गए। उनकी सहायता से फंसे हुए चारों मजदूरों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। यद्यपि उनमें से दो मजदूरों—राजपूत राम और प्रभु लक्ष्मण की मृत्यु हो गई परन्तु अन्य दो मजदूर—रोहिदास राम और रोहिमत राम चिकित्सा के बाद बच गये।

श्री रंगनाथ रघुमाली ने, अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए कुएं में फंसे अपने साथियों को बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया।

सं० 26, प्रेज/75—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री पूर्णानन्द लक्ष्मण नायक,
उत्तरी कनारा जिला,
कर्नाटक।

8 फरवरी 1974 की सुबह बेलगांव के सर्वश्री नगन्ना गोविन्द पटेल और बासप्पा भोजप्पा कुम्बेर सागर-स्नान के लिए महाबलेश्वर मन्दिर गए। कुछ दूरी तक तैरने के बाद, समुद्र के अशांत होने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई। श्री महाबल महादेव भट मुले ने, जो समुद्र-तट पर थे, उनको डूबते हुए देखा और वे मदद के लिए चिल्लाए। समुद्र की ओर आते हुए श्री पूर्णानन्द लक्ष्मण नायक ने इस घटना को देखा और अपने जीवन के जोखिम की परवाह न करते हुए तत्काल समुद्र में कूद पड़े तथा एक-एक करके दोनों व्यक्तियों को समुद्र तट पर ले आए। उन्हें तत्काल गोकरण अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई जिसके फलस्वरूप दोनों व्यक्तियों की जान बच गई। श्री पूर्णानन्द लक्ष्मण नायक ने साहस और तत्परता से काम लिया तथा स्वयं को भयंकर खतरे में डालकर दो व्यक्तियों की जानें बचाई।

2. श्री गब्बू, (मरणोपरांत)
पुत्र श्री सुख लाल,
ग्राम मौला, डाकखाना बल्वो,
तहसील हरसूद, जिला पूर्वी निमाड़,
मध्य प्रदेश।

3. श्री बाबू, (मरणोपरांत)
पुत्र श्री रामचन्द्र
ग्राम मौला, डाकखाना बल्दी,
तहसील हरसूद, जिला पूर्वी निमाड़,
मध्य प्रदेश।

29 और 30 अगस्त, 1973 को नर्मदा नदी में बाढ़ आई हुई थी। जिला पूर्वी निमाड़ (खंडवा) के अन्तर्गत तहसील हरसूद में ग्राम मौला बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर गया था जिससे ग्रामवासियों और उनके पशुओं का जीवन संकट में पड़ गया। सर्वश्री गब्बू और बाबू, दो नाविकों ने असहाय व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की दृष्टि से एक डोंगी ली। वे पूरे दिन बाढ़ की प्रचण्डता से कठोर संघर्ष करते रहे और सूर्यास्त तक 35 ग्रामीणों और 50 पशुओं की जान बचाने में सफल हुए। जब वे सात ग्रामीणों के आखिरी दल को बचा कर ला रहे थे, उस समय तक वे पूरी तरह थक चुके थे। कम रोशनी में साफ दिखाई न देने के कारण डोंगी एक पेड़ से टकरा कर उलट गयी जिसके फलस्वरूप सर्वश्री गब्बू और बाबू तथा पांच ग्रामीणों की मृत्यु हो गई।

सर्वश्री गब्बू और बाबू ने संयुक्त रूप से इस महान वीरतापूर्ण कार्य में महान साहस और तत्परता दिखाई और इस बचाव कार्य में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

4. डा० सलीमुद्दीन, (मरणोपरांत)
नीमच, जिला मन्दसौर,
मध्य प्रदेश।

30 दिसम्बर, 1973 की सुबह नीमच हवाई अड्डे पर एक शेर आ गया और उसने ग्राम धामन्या के श्री राम सिंह को मार डाला और उसके बाद उसी ग्राम में पांच व्यक्तियों के एक परिवार तथा पटवारी पर आक्रमण करके उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। नीमच में यह एक साप्ताहिक हाट का दिन था, इसलिए नगर में आने वाले व्यक्तियों को बचाने की दृष्टि से शेर को मारना जरूरी था। शेर को ढूंढ निकालने के लिए, ग्राम धामन्या जाने वाले अनुमण्डलाधिकारी (पुलिस) (एस० डी० ओ०), नीमच तथा सी० आर० पी० के कुछ अधिकारियों के शिकारी दल के साथ डा० सलीमुद्दीन स्वेच्छा से चल दिये। दल तीन टुकड़ियों में बंट गया और तीन तरफ से नाले में छिप हुए शेर की तलाश शुरू कर दी। पहले-पहल डा० सलीमुद्दीन ने शेर को देखा और लगभग 30 फीट की दूरी से उस पर गोली चलाई। नाला पार करके शेर जैसे ही झाड़ियों में से निकल कर आया, उसने डा० सलीमुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और उनकी पसलियों, फेफड़ों तथा पेट को बुरी तरह घायल कर दिया। अपनी सूझबूझ खोए बिना डा० सलीमुद्दीन ने फिर गोली चलाई जिसके फलस्वरू शेर ने उन पर दुबारा आक्रमण किया। उन्होंने फिर गोली चलाई और उसके बाद एस० डी० ओ० (पुलिस) ने शेर पर गोली दागी जिससे वह जमीन पर गिरा और मर गया। गम्भीर रूप से घायल डा० सलीमुद्दीन को तत्काल नीमच तथा मंदसौर के अस्पतालों में ले जाया गया किन्तु घावों की वजह से 6 जनवरी, 1974 को उनकी मृत्यु हो गई।

डा० सलीमुद्दीन ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाल कर एक नरभक्षी शेर को मारने की इस कार्यवाही में साहस और तत्परता का परिचय दिया और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

5. श्री एम० एन० थंकप्पन,
राजकीय हाई स्कूल, कैथरम,
उत्तरी परूर,
केरल।

6. श्री कंकी कुट्टप्पन,
वरीपिल, डाकखाना कैथरम,
परूर तालुक,
केरल।

7. श्री कन्दुम्नी करुणाकरन आचारी,
मुल्लयापिल्लिल, हाउस, डाकखाना कैथरम,
परूर तालुक,
केरल।

8. श्री के० करुणाकरन नायर,
पुलिप्रा, थराइल वीडू, कैथरम,
परुर तालुक,
केरल।

20 नवम्बर, 1973 को कोट्टवल्ली ग्राम में मिट्टी का तेल बेचने वाली एक राशन की दुकान में आग लग गई जिसके अचानक ही फैल जाने के परिणामस्वरूप वहां पर मौजूद उन्नीस ग्राहक उसकी लपेट में आ गए। सर्वश्री एम० एन० थंकप्पन, कंकी कुट्टप्पन, के० करुणाकरन् आचारी और के० करुणाकरन नायर तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने सभी उन्नीस व्यक्तियों को जलती हुई दुकान में से बाहर खींच निकाला। घटनाग्रस्त व्यक्तियों में से चार की वहीं मृत्यु मृत्यु हो गई और बुरी तरह जल जाने के कारण तीन और बाद में अस्पताल में मर गए। शेष व्यक्तियों की जानें बच गई। बचाने वाले व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। सर्वश्री कंकी कुट्टप्पन और थंकप्पन लगभग तीन महीने अस्पताल में रहे। सभी ने, आग में ग्रस्त असहाय व्यक्तियों को बचाने में, असाधारण साहस और तत्परता का परिचय दिया और यदि वे इस तरह वीरता से काम न करते तो मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होती।

9. श्री कुरील अप्पुकुट्टी, (**मरणोपरांत**)
थरम्मल हाउस, हाउस नं० 5/662-जे,
कचेरी ग्राम, सेंट विसेंट कालोनी, पी० ओ०,
कोझीकोडे।

कोझीकोडे स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के चपरासी श्री के० अप्पुकुट्टी अपने घर में पेचिश की बीमारी के बाद

स्वास्थ्य लाभ के लिये अपने घर में आराम कर रहे थे। उन्होंने 9 जुलाई, 1972 की शाम लगभग 7 बजे मिरगी-रोग ग्रस्त अपने पड़ोसी श्री टी० वी० ससी को बहुत नाजुक स्थिति में पाया जो फिसल कर एक खाई में जा गिरा था। जिसमें भारी वर्षा के कारण 8 फुट गहरा पानी भरा था। श्री आपुकुट्टी अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद, तत्काल खाई में कूद पड़े और श्री ससी को पकड़ कर बाहर निकाला और उसे डूबने से बचा लिया। किन्तु उनके सिर में चोटें लगी थीं। उन्हें हस्पताल में भर्ती कराया गया और आपरेशन किया गया परन्तु चोटों के कारण दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई।

श्री के० अप्पुकुट्टी ने श्री ससी का जीवन बचाने में अदम्य साहस और तत्परता का परिचय दिया।

10. श्री महेन्द्र सिंह,
पुत्र श्री रतन सिंह,
ग्राम उमरी, डाकखाना म्याना,
जिला गुना,
मध्य प्रदेश।

1 अगस्त, 1973 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न नवीन नाम का एक 7 वर्षीय बालक, जो कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, धनबिदा बंगले के प्रांगण में लगभग 35 फुट गहरे कुएं में गिर पड़ा। बच्चों का शोर सुनकर, 11-12 वर्षीय श्री महेन्द्र सिंह घटना स्थल पर आए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। बाद में उन दोनों को, रस्सी में बाल्टी बांध कर, कुएं से बाहर निकाला लिया गया।

डूबते हुए बच्चे को बचाने में श्री महेन्द्र सिंह ने भारी सूझबूझ, साहस और तत्परता का परिचय दिया।

11. कुमार मोहन दत्तात्रेय कुलकर्णी,
30, बखारभाग, सदर डाकखाना, सांगली,
जिला सांगली,
महाराष्ट्र।

14 मार्च, 1972 को सांगली में गुजराती हाई स्कूल के निकट बखर क्षेत्र में नाली बनाने का काम चल रहा था। पास की एक पाइपलाइन फट जाने के कारण उस स्थान पर छः-सात फुट गहरा पानी भर गया था। शाम के लगभग 6.30 बजे स्कूल के दो लड़के 4 वर्षीय कुमार शशि भीमराव पाटिल और 6 वर्षीय कुमार गोत्या भीमराव पाटिल, जो पास ही खेल रहे थे। अपना संतुलन खो बैठने के कारण नाली में गिर पड़े। 12 वर्षीय कुमार मोहन दत्तात्रेय कुलकर्णी ने इस घटना को देखा और तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंच कर दोनों बच्चों को डूबने से बचा लिया। यदि कुमार कुलकर्णी समय पर सहायता के लिए न पहुंच पाते तो दोनों बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते।

अपने जीवन को भारी खतरे में डाल कर कुमार मोहन दत्तात्रेय कुलकर्णी ने महान साहस और तत्परता का परिचय दिया।

12. शेख गुडुमियां साहिब इब्राहिम,
फाटक नं० 23, ब्रेट्स रोड,
मुल्लुवाडी, सेलम-1,
तमिल नाडु।

8 दिसम्बर, 1972 को अप्रत्याशित वर्षा के कारण थीरुमनिमूथर नदी में पानी का स्तर अकस्मात् बढ़ जाने से सेलम नगर के अधिकांश निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। नदी के किनारे पर सात व्यक्ति पानी के बहाव में फंस गए थे और वे बह कर गांधी-ब्रिज के खंभों में अटक गए। नदी के तेज़ बहाव के कारण बचाव की कारवाई में बड़ी कठिनाई हो रही थी। शेख गुडुमियां साहिब इब्राहिम स्वेच्छा से पानी में कूद पड़े और उन सभी व्यक्तियों को जो खम्भों से चिपके हुए थे, सुरक्षित स्थान पर ले आए।

शेख गुडुमियां साहिब इब्राहिम ने जो असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया, उसके फलस्वरूप ही सात व्यक्तियों की जानें बच सकीं।

13. श्री द्विज पद पंडा, माइनिंग सरदार,
द्वारा प्रबन्धक, लाचीपुर कोयला खान,
डाकखाना कजोर ग्राम, जिला बर्दवान,
पश्चिमी बंगाल।

लाचीपुर कोयला खान में लोअर कजोर सीम के राइज़ पेनल नं० 2 में जहां पर 31 फरवरी, 1973 को 70 मीटर की गहराई पर खम्भे हटाने का कार्य चल रहा था, एक गंभीर विस्फोट हुआ। यद्यपि कहीं-कहीं पर जमीन धंसने की वारदातें नियमित रूप से हो रही थीं, परन्तु हवा में हुए इस विस्फोट के समय तक कोई खास विस्फोट नहीं हुआ था। जैसे ही छत हिलने के आसार दिखाई पड़े, अंडर मैनेजर, ओवरमेन और माइनिंग सरदार ने तत्काल कार्रवाई की और उस क्षेत्र से व्यक्तियों को हटाना शुरु कर दिया। ऐसा लगा कि मज़दूर अपने काम में मग्न थे और जब उन्हें वहां से हटने को कहा गया तो ट्रेनिंग दिये जाने के बावजूद उन्होंने तुरन्त हटना शुरु नहीं किया। माइनिंग सरदार श्री द्विज पद पंडा को ऐसे लगा कि कार्यकर्त्ता सुस्ती कर रहें हैं, और चेतावनी दिये जाने के बाद भी जल्दी से सुरक्षित स्थानों में नहीं जा रह हैं। आपने लगातार एक-एक कार्यकर्त्ता के पीछे भाग कर 210 मीटर तक फैले हुए क्षेत्र से उन्हें भागने पर वस्तुतः मजबूर कर दिया।

श्री द्विज पद पंडा ने अपने निजी जीवन को भारी खतरा होने की परवाह नहीं की और उन्हें गहरी चोटें लगीं। उनकी पहल-कदमी, साहस और तत्परता के परिणामस्वरूप अनेक जानें बच गईं।

14. श्री कल्याण सेनगुप्ता, (**मरणोपरांत**)
41/बी०/1, गरियाघाट रोड (दक्षिण),
कलकत्ता-31।

8 मार्च, 1974 को सुबह लगभग 11.20 बजे, श्री कल्याण सेनगुप्ता हुगली नदी में स्नान करने के लिए अपने निवास स्थान के निकट घंगाइल गए। उसी समय, उनके पड़ोसी की पुत्री भी नदी में स्नान कर रही थी। वह अकस्मात् गहरे पानी में गिर पड़ी और डूबने लगी। उसको इस तरह डूबते देखकर, श्री सेनगुप्ता

तत्काल उसकी ओर कूदे और किसी तरह उसे पानी से निकाल कर नदी में एक सुरक्षित स्थान की ओर धकेल दिया। इस प्रक्रिया में वे स्वयं फिसल कर गहरे पानी में जा गिरे और पानी के तेज बहाव के कारण बाहर नहीं निकल सके और डूब गए।

श्री कल्याण सेनगुप्ता के सराहनीय साहस और तत्परता के कारण ही लड़की की जान बच गई।

कृ० बालचन्द्रन्,
राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1975

सं० एफ० 2(19)-एन० एस०/74/(II)—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 28 फरवरी 1970 की अधिसूचना सं० एफ० 3(8)/-एन० एस०/70 द्वारा प्रकाशित डाक-घर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 में और आगे संशोधन करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को डाक-घर (आवर्ती जमा) (संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जाएगा।

(2) ये नियम पहली अप्रैल 1975 से लागू होंगे।

2. डाक-घर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 (जिसे यहां से आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 6 में :—

(i) खण्ड (क) में, उपनियम (2) में "अदायगी न करने के हर महीने के लिए पांच रुपए की प्रत्येक किस्त के लिए 3 पैसे" के उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाएगा, अर्थात् :—

"अदायगी न करने के हर महीने के लिए प्रत्येक 5 रुपए की किस्त के लिए 4 पैसे"।

(ii) उप-नियम (3) में, उप खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड पढ़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) किसी कैलैण्डर मास में 12 महीनों के लिए जमा की गई रकमें	5 रुपए के मूल्य के खाते के लिए 2 रुपए
(ii) किसी कैलैण्डर मास में 6 महीनों के लिए जमा की गई रकमें	5 रुपए के मूल्य के खाते के लिए 50 पैसे।

3. उक्त नियम के नियम 12 में :—

(i) उप नियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में अंकों "7.2" के स्थान पर अंक "9.6" पढ़े जाएंगे ;

(ii) उप नियम (3), के नीचे दी गई मौजूदा "टिप्पणी" के स्थान पर निम्नलिखित "टिप्पणी" पढ़ी जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी :—पहली अप्रैल 1975 से पहले निकाली गई रकमों पर ब्याज की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

(i) 1-4-72 से पहले निकाली गई रकमों पर	6-1/2 प्रतिशत वार्षिक
(ii) 1-4-72 से 31-3-75 तक निकाली गई रकमों पर	7.2 प्रतिशत वार्षिक

ए० वी० श्रीनिवासन,
अवर सचिव

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1975

संकल्प

सं० 7/3/73-फ० ब० प०—फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड की स्थाई समिति के गठन के संबंध में भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० 1/13/67-फ० ब० प०, दिनांक 23 जून, 1969 जिसकी उसी मंत्रालय के संकल्प सं० 7/3/73-फ० ब० प०, दिनांक 25 फरवरी, 1974 के द्वारा संशोधित किया गया था, के संशोधन में पैरा 2 में दिए गए इन्दराजों के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज रखे जाएं :—

1.	अपर सचिव, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (सिंचाई विभाग) नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष, कलकत्ता।	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, जहाजरानी और परिवहन, मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), नई दिल्ली।	सदस्य
6.	आयुक्त (गंगा बेसिन) एवं पदेन संयुक्त सचिव, (गं० बे०), कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (सिंचाई विभाग), नई दिल्ली।	सदस्य
7.	सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, कलकत्ता।	सदस्य

8. महाप्रबन्धक, फरक्का बराज परियोजना, डाकखाना फरक्का बराज, जिला मुर्शिदाबाद, (पश्चिम बंगाल)। — सदस्य

9. सचिव, फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली। — सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त संकल्प पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार के मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए तथा पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया जाए कि इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सत्येन्द्र नाथ गुप्ता,
संयुक्त सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मार्च 1975

संकल्प

सं० आर० 17011/3/74-योजना तथा समन्वय—सहकारी विकास से संबंधित नीतियां तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिए संकल्प सं० आर० 15013/2/70-यो० तथा सम० दिनांक 2-9-1972 द्वारा दो वर्षों के कार्यकाल के लिए एक सलाहकार परिषद् गठित की गई थी, इस परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर सहकारिता सम्बन्धी सलाहकार परिषद् को इस संकल्प के जारी होने की तारीख से पुनः गठित करने का निर्णय किया गया है। इसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1. श्री टी० ए० पाई, मंत्री (उद्योग तथा नाग० पूर्ति) — अध्यक्ष
2. श्री ए० सी० जार्ज, राज्य मंत्री, (उद्योग तथा नाग० पूर्ति) — उपाध्यक्ष
3. श्री आर० के० त्रिवेदी, अपर सचिव, (नाग० पूर्ति तथा सह०) — सदस्य
4. श्री सेवाई सिंह सिसोदिया, संसद् सदस्य, राज्य सभा। — सदस्य
5. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी, संसद सदस्य, लोक सभा। — सदस्य
6. श्री टी० ए० पाटिल, संसद सदस्य, लोक सभा। — सदस्य
7. अध्यक्ष, आल इंडिया हैंडलूम फैबरिक्स, मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०। — सदस्य
8. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ, — सदस्य
9. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। — सदस्य
10. अध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य सहकारी, बैंक परिसंघ लि०। — सदस्य
11. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी भूमि, विकास बैंक परिसंघ लि०। — सदस्य
12. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि०। — सदस्य
13. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना परिसंघ। — सदस्य
14. अध्यक्ष, अखिल भारतीय औद्योगिक सहकारी सोसाइटी परिसंघ। — सदस्य
15. अध्यक्ष, अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ लि०। — सदस्य
16. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि०। (नेफेड) — सदस्य
17. श्री बी० शिवारमण, सदस्य, योजना आयोग। — सदस्य
18. श्री एम० ए० कुरेशी, सचिव, ग्राम विकास विभाग। — सदस्य
19. श्री एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव, बैंकिंग विभाग। — सदस्य

20. श्री सी० डी० दाते, सदस्य
कार्यकारी निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
कृषि ऋण विभाग।

21. श्री वंकटापैया, सदस्य
अध्यक्ष,
ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०।

22. डा० धर्म नारायण, सदस्य
अध्यक्ष,
कृषि मूल्य आयोग।

23. डा० मनमोहन सिंह, सदस्य
भारत सरकार के मुख्य
आर्थिक सलाहकार,
वित्त मंत्रालय,
अर्थ विभाग।

24. डा० वी० कुरियन, सदस्य
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक,
गुजरात सहकारी दुग्ध
विपणन परिसंघ लि०।

2. इस परिषद के विचारार्थ विषय निम्न होंगे :—

(i) देश में सहकारी विकास से संबंधित व्यापक नीति विषयक मामलों के बारे में सरकार को सलाह देना ;

(ii) सहकारी विकास से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सहकारी संगठनों की भूमिका पर विचार करना , और

(iii) महत्वपूर्ण सहकारी गतिविधियों की प्रगति और समस्याओं का पुनर्विलोकन करना।

3. परिषद की बैठक उतनी बार होगी जितनी बार आवश्यक हो।

4. परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष होगा।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाएं। यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एस० बावा,
संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1975

संकल्प

सं० एफ० 20019/1/75-प्रशा०-1—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सी० एस० झा भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (एन० सी० एस० टी० सचिवालय) के दिनांक 25 जनवरी, 1975 के संकल्प स० एफ० 20019/1/75-प्रशा०-1 के अनुसार पुनर्गठित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति (एन० सी० एस० टी०) के इसी समय से सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति के सचिवालय, उप राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, तथा पुनर्गठित एन० सी० एस० टी० के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को भेज दी जाएं।

दिनांक 18 मार्च 1975

शुद्धि-पत्र

सं० एफ० 20019/1/75-प्रशा०-1—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (एन० सी० एस० टी० सचिवालय) के दिनांक 25 जनवरी 1975 के संकल्प सं० एफ० 20019/1/75-प्रशा०-1 के, पैरा 1 में दी गई सदस्यों की सूची के क्रम सं० 18 के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाए।

18 प्रोफेसर आ० सिद्दीकी,
आचार्य, अणुजीव विज्ञान,
(प्रोफेसर आफ मालिक्यूलर बायोलाजी)
टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान,
बम्बई।"

एस० के० सुब्रमण्यन, सचिव
एन० सी० एस० टी०
तथा पदेन संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 17 मार्च 1975

संकल्प

सं० 33/14/74-नीति—दिनांक 21 अक्तूबर 1974 के अनुसार एक समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह इस बात का मूल्यांकन करे कि केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान, बंगलौर की जिन उद्देश्यों से स्थापना की गई थी, उन्हें प्राप्त करने में उसने कहां तक सफलता प्राप्त की है और यह सुझाव भी दे कि भविष्य में इसके विकास की योजना किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए। समिति को चार महीनों की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। समिति का कार्य-काल 20-2-1975 को समाप्त हो गया था। क्योंकि समिति को अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, इसलिए भारत सरकार ने समिति के कार्य-काल में 21-2-1975 से तीन महीने की अवधि की और वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, भाग एक, खण्ड एक में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेज दी जाए।

सी० एस० हुकमानी,
उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 मार्च 1975

संकल्प

सं० 22/393/75-पी० आर० एन० पी०—प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसरण में, भारत सरकार ने 29 जुलाई 1964 में समाचार पत्रों और दूसरे सम्बन्धित मामलों के आयात और अखबारी कागज तथा प्रिंटिंग मशीनरी के आवंटन की नीति के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति की स्थापना की। न्यूज प्रिंट एडवाइजरी कमेटी का अब फिर इस प्रकार गठन किया गया है :—

अध्यक्ष	सूचना और प्रसारण मंत्री
उप-अध्यक्ष	सूचना और प्रसारण उप-मंत्री

गैर-सरकारी सदस्य

इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी के मनोनीत सदस्य

(अ) श्री पी० के० राय,
अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता-1

(ब) श्री के० नरेन्द्र,
दैनिक प्रताप, नई दिल्ली-1

(स) श्री सी० जी० के० रेड्डी,
हिन्दू, मद्रास-1

इण्डियन लैंग्यूवजेज न्यूज पेपर एसोसिएशन के मनोनीत संदस्य

(अ) श्री रती लाल सेठ,
जन्म भूमि, बम्बई।

(ब) श्री के० एस० देशपांडे,
मार्थवाड़ा, औरंगाबाद।

सरकार के मनोनीत सदस्य

(अ) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर,
संसद सदस्य (लोक सभा)।

(ब) श्री ऐरा सेझियन,
संसद सदस्य (लोक सभा)

(स) श्री जे० एस० तिलक,
संसद सदस्य (राज्य सभा)।

(द) श्री टी० आर० रामास्वामी,
इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्ट के प्रतिनिधि।

(ई) श्री बी० एन० आजाद,
अध्यक्ष,
आल इण्डिया न्यूज पेपर्स एडीटर कानफ्रेंस।

(फ) श्री निखिल चक्रावर्ती,
सम्पादक, "मेन स्ट्रीम"।

(जी) श्री अबिद अली,
"सियासत" हैदराबाद।

(ह) श्री साधू सिंह हमदर्द,
सम्पादक "अजीत" जालन्धर।

(इ) श्री एम० सनमुगेवल,
सम्पादक "मक्कल कुरल" मद्रास।

सरकारी सदस्य

(अ) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) का प्रतिनिधि।

(ब) औद्योगिक और सिविल पूर्ति मंत्रालय का प्रतिनिधि।

(स) भारत के राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधि।

(द) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का प्रतिनिधि।

(इ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव, सूचना)।

(फ) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, जो समिति के सचिव भी होंगे।

अध्यक्ष को अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा तथा वह ऐसे सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को भी बैठक में उपस्थित होने का निमन्त्रण दे सकता है जिनको वह ठीक समझता है।

गैर-सरकारी सदस्यों की सदस्यता का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिन से दो वर्ष का होगा परन्तु नियुक्त होने वाला सदस्य दुबारा नियुक्ति का पात्र होगा।

समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी परन्तु गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 6(26) ई०-4/59 दिनांक 5-9-1960 और जैसा समय-समय पर संशोधित हुआ, के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

समिति साधारणतः वर्ष में दो बार बैठेगी।

आदेश

आदेश दिया कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित की जाए।

एस० के० एस० चिब,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th April 175

No. 24-Pres./75.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Menothuparambil, Kunjunny Divakaran, Valloor, P.O. Puthenpeedika, Trichur (Kerala). *(Posthumous)*

At about 1 p.m. on the 24th August 1973 Shri Menothuparambil Kunjunny Divakaran, 10th Class student of the High School, Anthikad, saw two little boys of the Lower Primary and Upper Primary School, Anthikad, struggling for their lives having come into contract with a live electric wire which had fallen on them. He rushed to their rescue and with the help of a stick separated the live wire from them. In the process the live wire unfortunately fell on him and he died of electrocution.

Shri Menothuparambil Kunjunny Divakaran displayed conspicuous courage and saved the lives of the two boys at the cost of his own life.

2. Shri Mohan Sahu, Ganpara, Durg, Madhya Pradesh. *(Posthumous)*

On 22nd August 1973 at about 20.25 hours fifteen boys in Durg Town went to immerse the idol of Lord Krishna in 'Bandha Talab' in Ganjpara Mohalla in a small boat manned by Dwarika Yadav and Pyare. Suddenly the boat capsized about 25 feet away from the bank. On hearing the commotion, some persons including Shri Mohan Sahu rushed to the tank. Shri Mohan Sahu, unmindful of his personal safety, jumped into the tank and rescued all the drowning boys. As three of them were in bad condition, Shri Sahu rushed them to the hospital. Shri Sahu himself was completely exhausted while rescuing the boys. After a while he collapsed and died.

In rescuing the drowning children Shri Mohan Sahu displayed conspicuous courage and fortitude under grave circumstances and laid down his own life.

No. 25-Pres/75—The President is pleased to approve the award of UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Kumari Saraswati Bai, C/o Shri Kashiram Dhimar, Kotti Bazar, Hoshangabad, Madhya Pradesh.

As a result of devastating floods in the rivers Tawa and Narmada from 29th to 31st August 1973, the entire village Malakhedi with a population of 1800 was cut off and the people were marooned at different places. They were hanging on to the roofs and tree tops. Most of the boats were either marooned or washed away and people were loosing hopes of survival. In such circumstances, Kumari Saraswati Bai, 15 year old fisher girl persuaded her ailing father to accompany her in a mission to rescue the flood victims. Her father's country boat was tied elsewhere beyond her immediate reach. She swam across to get hold of the boat, rowed it by herself, then went to each roof and rescued the marooned persons. She commenced the rescue work at 8 A.M. on 31st August 1973 and continued it till the evening without a break. As a result of her heroic efforts, 96 persons were saved. To rescue Shri Laxminarayan and his son Beni Prasad she rowed nearly one kilometer against fast current.

Unmindful of the danger to her own life Kumari Saraswati Bai displayed exemplary courage and promptitude in rescuing the marooned villagers.

2. Shri Bindeshwar Prasad Srivastava, Vill. & P.O. Ghatoha, P. S. Dal Singh Sarai, Distt. Darbhanga, Bihar. *(Posthumous)*

On 18th March 1973 at about 8 P.M. a gas explosion took place in a seam at Noonudih Jeetpur Colliery. At that time Shri Bindeshwar Prasad Srivastava was in the High Tension Pump House situated at the dip of the downcast shaft. While most of the workers, trapped inside, ran away to save their lives, Shri Srivastava stayed back to help two of his co-workers, Sarvashri Niranjan Singh and Ram Dani to leave the mine safely. Both of them survived the disaster. The noxious gases had by then spread to the pump room and in the process Shri Srivastava was badly affected by it. Although he was rescued alive, he could not stand the heavy dose of carbon monoxide inhaled by him and died at the Central Hospital, Dhanbad, after 15 days.

Shri Bindeshwar Prasad Srivastava displayed extreme courage and promptitude sacrificing his own life in the process of saving two precious lives of his co-workers.

3. Shri Krishna Singh, Vill. Peepra, P.O. Sahajadpur, P.S. Baniapur, Distt. Chapra, Bihar. *(Posthumous)*

On 18th March 1973 at about 8 P.M. a methane gas explosion took place in a seam at Noonudih Jeetpur Colliery. Shri Krishna Singh was then supervising operations in MI/TI panel west of the shafts. He along with four of the workers who were not hurt in the explosion had started walking out towards the shaft. When Shri Singh noticed that some more workers were present in that area, after guiding the four workers out, he went back to help the remaining workers. He was overcome by poisonous gases which had spread by that time as a result of which he lost his life. His dead body was later recovered. Of the four workers whom Shri Krishna Singh had helped to come out, only one survived.

Shri Krishna Singh displayed courage and sacrificed his life in the process of saving the lives of his co-workers.

4. Shri Ranganath Raghu Mali, Nanegaon Taluka Paithan, Distt. Aurangabad, Maharashtra.

On 12th March 1973 at about 12 noon blasting work in the community well at Nanegaon, District Aurangabad, was in progress. One of the labourers, Shri Rajput Rama entered the well to verify the effects of the blast and became unconscious due to suffocation inside the well. He was followed by Shri Prabhu Laxman and Shri Rohidas Rama and Shri Rahimat Rama who entered the well to rescue their colleagues. All the four labourers became unconscious and were rendered incapable of helping each other. On seeing this, Shri Ranganath Raghu Mali entered the well with some water to help his colleagues. He served water to the trapped labourers and instructed his co-workers outside to pull him out. He also became unconscious on his way up. However, immediately after reviving, he entered the well again to rescue his trapped colleagues. With his assistance all the four trapped labourers were pulled out of the well. While two of them Rajput Rama and Prabhu Laxman died, the other two Rohidas Rama and Rahimat Rama survived after medical aid.

Shri Ranganath Raghu Mali displayed exemplary courage and promptitude in rescuing his colleagues trapped inside the well unmindful of the great danger to his own life.

No. 26-Pres./75.—The President is pleased to approve the award of JEEVAN RAKSHA PADAK to the undermentioned persons :—

1. Shri Poornanand Laxuman Naik, North Canara District, Karnataka.

On the morning of 8th February 1974, Sarvashri Naganna Govind Patel and Basappa Bhojappa Kumber of Belgaum went for a bath in the sea at Mahabaleshwar temple. After swimming some distance they suddenly lost their nerve due to the roughness of the sea. Shri Mahabal Mahadev Bhat Mule who was on the seashore saw them drowning and shouted for help. Shri Poornanand Laxuman Naik who was coming towards the sea noticed the incident and without caring for the risk to his own life immediately plunged into the sea and brought both the persons to sea-shore one by one. They were immediately taken to Gokaran Hospital and given first-aid treatment as a result of which both of them survived.

Shri Poornanand Laxuman Naik acted with courage and promptitude and saved two lives at grave risk to himself.

2. Shri Gabboo, *(Posthumous)*
S/o Shri Sukhalal,
Village Moula, Post Baldi,
Tahsil Harsud,
Distt. East Nimar,
Madhya Pradesh.

3. Shri Babu, *(Posthumous)*
S/o Shri Ramchandra,
Village Moula,
Post Baldi,
Tahsil Harsud,
Distt. East Nimar,
Madhya Pradesh.

On 29th and 30th August, 1973 river Narmada was in floods. The flood waters had surrounded village Moula in Tahsil Harsud, District East Nimar (Khandwa) thereby endangering the lives of the villagers and their livestock. Sarvashri Gabboo and Babu, two boat-men took out a small boat (Dongi) to reach the marooned people with a view to remove them from the flooded area to safety. They fought relentlessly the fury of the floods for the whole day and by sunset they were able to save the lives of 35 villagers and 50 animals. While they were rescuing the last batch of seven villagers, they were completely exhausted. Due to poor visibility the dongi dashed against a tree and turned turtle resulting in the death of both Shri Gabboo and Babu along with the five villagers.

Sarvashri Gabboo and Babu jointly performed this great deed of heroism with courage and promptitude and lost their lives in the rescue operations.

4. Dr. Salimuddin, *(Posthumous)*
Neemuch,
District Mandsaur,
Madhya Pradesh.

On the morning of 30th December 1973, a tiger appeared at Neemuch aerodrome and killed one Shri Ram Singh of village Dhamina and thereafter attacked a family of five persons of the same village as well as a Patwari and grievously wounded them. It was the weekly market day in Neemuch and hence it was necessary to kill the tiger to save the people visiting the town. Dr. Salimuddin voluntarily accompanied the hunting party consisting of S.D.O. (Police) Neemuch and some officers of the CRP to village Dhamnia to hunt out the tiger. The party divided itself into three groups and from three sides searched the tiger hiding itself in the nullah. Dr. Salimuddin saw the tiger first and fired at it from a distance of about 30 feet. As the tiger came out of the bushes after crossing the nullah, it attacked Dr. Salimuddin and badly maulded his ribes, lungs and stomach. Without losing his presence of mind, Dr. Salimuddin fired another shot at which the wounded tiger again charged at him. He fired again and thereafter SDO (Police), fired at the tiger which then fell dead on the ground. Seriously wounded Dr. Salimuddin was rushed to Neemuch and Mandsaur hospitals but he succumbed to his injuries on 6th January 1974.

Dr. Salimuddin displayed courage and promptitude in this operation to kill a man-eating tiger and lost his own life.

5. Shri M. N. Thankappan,
Government High School, Kaitharam,
North Parur,
Kerala.

6. Shri Kanki Kuttappan,
Varipil,
P.O. Kaitharam,
Parur Taluk,
Kerala.

7. Shri Kandunny Karunakaran Achari,
Mullayappillil House,
P. O. Kaitharam,
Parur Taluk,
Kerala.

8. Shri K. Karunakaran Nair,
Pulipra, Tharayil Veedu, Kaitharam,
Parur Taluk,
Kerala.

On 20th November 1973, a ration shop selling kerosene oil in Kottuvally village caught fire which spread suddenly with the result that nineteen customers who were present there were trapped. Sarvashri M. N. Thankappan, Kanki Kuttappan, K. Karunakaran Achari and K. Karunakaran Nair rushed to the spot and without caring for their lives pulled out all the 19 persons from the burning shop. Four of the victims died on the spot and three other died later in the hospital as a result of the severe burns sustained by them. The rest survived. The rescues were seriously injured and had to be hospitalised. S/Shri Kanki Kuttappan and Thankappan remained in hospital for about three months. All of them had shown extraordinary courage and promptitude in rescuing the helpless victims of the fire and but for their heroic efforts, the death toll would have been much higher.

9. Shri Kooriyil Appukutty, *(Posthumous)*
Tharammal House,
House No. 5/662-J,
Katcheri Village,
St. Vincent's Colony P.O.,
Kozhikode.

On 9th July 1972 at about 7 P.M. Shri K. Appukutty, Peon, Office of the District Educational Officer, Kozhikode, while convalescing from an attack of dysentry in his house in Katchery Village, Kozhikode, saw his neighbour Shri T. V. Sasi, an epileptic, struggling for his life, who had slipped and fallen into a trench flooded with 8 feet deep water due to heavy rain. He immediately plunged into the trench inspite of his bad health; caught hold of Shri Sasi and took him out thereby saving him from drowning. However, he sustained injuries on his head. He was hospitalised and operated upon but he succumbed to the injuries on the next day.

Shri K. Appukutty displayed conspicuous courage and promptitude in saving the life of Shri Sasi.

10. Shri Mahendra Singh,
S/o Shri Ratan Singh,
Village Umari,
P.O. Myana,
Distt. Guna,
Madhya Pradesh.

On 1st August 1973, at about 14.30 hours, a child named Naveen aged 7 years, who was playing with some children, fell into a well about 35 feet deep in the compound of Dharnavda Bungalow. On hearing the commotion made by the children, Shri Mahendra Singh, aged 11-12 years, came on the spot and without caring for his life jumped into the well to rescue the drowing child. Both of them were later brought out from the well with the help of a bucket tied to a rope.

Shri Mahendra Singh showed great presence of mind, courage and promptitude in rescuing the drowning child.

11. Kumar Mohan Dattatraya Kulkarni,
30, Vakharbhag, At & Post—Sangli,
District Sangli,
Maharashtra.

On 14th March 1972, drainage work was in progress in the Vakhar Area near Gujarathi High School in Sangli. Due to the bursting of a nearby pipeline, there was 6 to 7 feet deep water at that place. At about 6.30 P.M. two school boys Kumar Shashi Bhimrao Patil, aged 4 years and Kumar Gotya Bhimrao Patil, aged 6 years, who were playing nearby, could not keep their balance and fell in the drain. Kumar Mohan Dattatraya Kulkarni, aged 12 years, who happened to see the incident, instantly rushed to the spot and saved both the children from drowning. But for his timely help, they would have lost their lives.

Shri Mohan Dattatraya Kulkarni displayed great courage and promptitude under circumstances of great danger to his own life.

12. Sheikh Gudumiyan Sahib Ibrahim,
Door No. 23, Bretts Road,
Mulluvadi, Salem—1,
Tamil Nadu.

Due to unprecedented rains on 8th December 1972, the water level in the Thirumanimuthar river rose suddenly inundating most of the low lying areas of Salem town. On the river banks 7 persons were caught in the current and were

stuck at the pillars of Gandhi Bridge. The swift current in the river made rescue operations very difficult. Sheikh Gudumiyan Sahib Ibrahim jumped into the water voluntarily and brought those who were clinging to the pillars to safety.

Due to the extraordinary daring and skill exhibited by Sheikh Gudumiyan Sahib Ibrahim seven precious lives were saved.

13. Shri Dwija Pada Panda, Mining Sirdar,
C/o The Manager, Lachipur Colliery,
P.O. Kajoragram, Distt. Burdwan,
West Bengal.

On 31st January 1973 a serious blast occurred at Lachipur Colliery in No. 2 Rise Panel of Lower Kajore Seam where depillaring operations were in progress at a depth of 70 metres. Although local falls were regularly taking place, the main fall did not occur till this air blast. 120 persons were employed in this area. As soon as roof movement was noticed the under manager, overman and mining sirdar took timely action and started removing persons from the area. In the course of withdrawal of persons, it was noticed that inspite of training given to workmen, they were complacent and did not act expeditiously. Shri D. P. Panda, Mining Sirdar, noticed that the workers were delaying and not taking shelter promptly after the warning was sounded. He ran incessantly from one worker to another and virtually forced them to withdraw from an area spread over a distance of 210 metres.

Shri Dwija Pada Panda had ignored the grave danger to his own life and was seriously injured. Due to his initiative, courage and promptitude loss of several lives was averted.

14. Shri Kalyan Sengupta, (*Posthumous*)
41/B/1, Gariahat Road (Sounth),
Calcutta—31.

On 8th March 1974 at about 11.20 A.M. Shri Kalyan Sengupta went for a bath in the river Hoogly at Changail, near his residence. His neighbour's daughter was also taking bath at the same time in the river. She suddenly fell into deep water and started drowning. On seeing her, Shri Sengupta immediately rushed towards her and somehow pulled her out of the water and pushed her to a safe place in the river. In the process he himself slipped into deep water and could not come out due to strong current and was drowned.

But for the commendable courage and promptitude exhibited by Shri Kalyan Sengupta, the girl would have lost her life.

K. BALACHANDRAN,
Secretary to the President

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th March 1975

No. F.2(19)-NS/74(i).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Saving Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.3(40)-NS/58 dated the 19th December, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits). (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1975.

2. In rule 6 of the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, (hereinafter referred to as the said rules) :

(i) in sub-rule (2) for the expression "3 paise for every Rs. 5 of the instalment for each month of default," the following expression shall be substituted, namely :—

"4 paise for every Rs. 5 of the instalment for each month of default";

(ii) in sub-rule (3), for clause (i) and (ii) the following clauses shall be substituted namely :—

"(i) For 12 monthly deposits made in any calendar month.

Rs. 2/- for an account of Rs. 5 denomination.

(ii) For 6 monthly deposits made in any calendar month.

50 paise for an account of Rs. 5 denomination.

3. In rule 11, of the said rules,

(a) in clauses (i) and (ii) of sub-rule (c) for the figures "7.2" the figures "9.6" shall be substituted;

(b) for the existing "Note' below sub-rule (c), the following "Note" shall be substituted, namely :—

Note :—The interest on withdrawals made before 1st April, 1975 shall be recovered at the following rates :—

(i) Withdrawls made before 1-4-1972=6% per annum.

(ii) Withdrawls made from 1-4-1972 to 31-3-1975=7.2% per annum".

A. V. SRINIVASAN,
Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPTT. OF IRRIGATION)

New Delhi, the 17th March 1975

RESOLUTION

No. 7/3/73-FBP. In modification of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power Resolution No. 1/13/67-FBP, dated the 23rd June, 1969, constituting the Standing Committee of the Farakka Barrage Control Board, as amended *vide* that Ministry's Resolution No. 7/3/73-FBP, dated the 25th February, 1974, the following entries may be substituted for the entries in paragraph 2 :—

Chairman

(1) Additional Secretary, Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt. of Irrigation) New Delhi.

Members

(2) Chairman, Central Water Commission, New Delhi.

(3) Chairman, Commissioners for port of Calcutta, Calcutta.

(4) Joint Secretary, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi.

(5) Joint Secretary, Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure), New Delhi.

(6) Commissioner (Ganga Basin) and *ex-officio* Joint Secretary (GB), Min. of Agriculture and Irirgation (Department of Irrigation) New Delhi.

(7) Secretry to the Government of West Bengal, Irrigation & Waterways Department, Calcutta.

(8) General Manager, Farakka Barrage Project, P.O. Farakka Barrage, District Murshidabad, West Bengal.

Secretary

(9) Secretary, Farakka Barrage Control Board, New Delhi.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of West Bengal, the Ministries of the Government of India, the Comptroller & Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for general information.

S. N. GUPTA,
Joint Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(DEPTT. OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION)

New Delhi-110001, the 22nd March 1975

RESOLUTION

No. R.17011/3/74-P&C—A Consultative Council for advising the Govt. of India on the formulation and implementation of policies relating to cooperative development was constituted vide Resolution No. R-15013/2/70 P&C dated 2-9-1972 for a period of two years. The term of this Council having expired, it has now been decided to reconstitute the Consultative Council on Cooperation with effect from the date of the issue of the Resolution with the following members :—

Chairman

1. Shri T. A. Pai,
Minister (I&CS)

Vice-Chiarman

2. Shri A. C. George,
Minister of State(I&CS)

Members

3. Shri R. K. Trivedi,
Additional Secretary(CS&C)
4. Shri Sewai Singh Sisodia, M. P.
Rajya Sabha
5. Shri M. Ramgopal Reddy, M.P.
Lok Sabha
6. Shri T. A. Patil, M. P.
Lok Sabha
7. President,
All India Handloom Fabrics Marketing Coop. Society Ltd.
8. President,
National Coop. Dairy Federation of India.
9. President,
National Cooperative Union of India
10. President,
All India State Coop. Banks Federation Limited.
11. President,
National Cooperative Land Development Banks Federation Limited.
12. President,
National Cooperative Consumers Fed. Ltd.
13. President,
National Federation of Coop. Sugar Factories
14. President,
All India Federation of Industrial Coops
15. President,
All India Federation of Coop. Shipping Mills Ltd.
16. President,
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).
17. Shri B. Sivaraman, Member
Planning Commission.
18. Shri M. A. Quraishi, Secretary
Deptt. of Rural Development.
19. Shri N. C. Sengupta, Secretary
Department of Banking.
20. Shri C.D. Datey, Executive Director
Reserve Bank of India
Agricultural Credit Department
21. Shri B. Vankatappiah, Chairman
Rural Electrification Cooperation Ltd.
22. Dr. Dharam Narain, Chairman
Agricultural Prices Commission
23. Dr. Manmohan Singh,
Chief Economic Adviser to the Govt of India
Ministry of Finance
Deptt of Economic Affairs
24. Dr V. Kurien,
Chairman & Managing Director,
Gujarat Cooperative Milk Marketing Fed. Ltd.

2. The terms of reference of the Council will be as follows :—

(i) to advice Govt on broad policy matters relating to Cooperative development in the country;

(ii) to consider the role of national cooperative organisations in the implementation of policies relating to Cooperative development; and

(iii) to review progress and problems of important cooperative activities.

3. The Council will meet as often as necessary.

4. The term of the Council will be for a period of 2 years

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. BAWA,
Joint Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 18th March 1975

RESOLUTION

No. F-20019/1/75-Adm.I—The Government of India have decided that with immediate effect Professor C. S. Jha, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur, will also be a Member of the National Committee on Science & Technology (NCST), as reconstituted *vide* Department of Science & Technology (NCST Secretariat) Resolution No. F-20019/1/75-Adm.I dated the 25th January, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Chairman and all the Members of the re-constituted NSCT.

CORRIGENDUM

No. F-20019/1/75-Adm.I.—In the Department of Science & Technology (N.C.S.T. Secretariat) Resolution No. F.-20019/1/75-Adm.I dated the 25th January, 1975, the following may be substituted against S. No. 18 of the list of Members contained in para 1 thereof :—

"18. Prof. O. Siddiqi,
Professor of Molecular Biology,
Tata Institute of Fundamental Research,
BOMBAY:"

S. K. SUBRAMANIAN,
Secy. N.C.S.T. and *ex-officio* Joint Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 17th March 1975

RESOLUTION

No. 33/14/74-Policy—A committee was set up to assess the extent to which the Central Power Research Institute, Bangalore has succeeded in achieving the objectives with which it was set up as also to suggest the lines on which its future development should be planned *vide* Resolution No. 33/14/74-Policy, dated the 21st October, 1974. The Committee was required to submit its report within a period of four months. The tenure of the Committee expired on 20-2-1975. Since the Committee would require some more time to finalise its report, the Government of India have, therefore, decided to extend the tenure of the Committee for a further period of three months with effect from 21-2-1975.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section I.

ORDERED also that copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Administrations of Union Territories and the Chairman/Members of the Committee.

C. S. HUKMANI,
Deputy Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-1, the 14th March 1975

RESOLUTION

No. 22/393/75-PR-NP.—In pursuance of the recommendation of the Estimates Committee, the Government of India set up, on July 29, 1964, a Committee to advise Government on question of policy regarding, the import and allocation of newsprint and printing machinery for newspapers and other cognate matters. The Newsprint Advisory Committee has now been re-constituted as under :—

Chairman : Minister for Information and Broadcasting

Deputy Chairman : Deputy Minister for Information and Broadcasting

NON-OFFICIAL MEMBERS

Nominees of the Indian & Eastern Newspaper Society

(a) Shri P. K. Roy, Amrita Bazar Patrika, Calcutta.

(b) Shri K. Narendra, Daily Pratap, New Delhi.

(c) Shri C. G. K. Reddy, Hindu, Madras.

Nominees of the Indian Languages Newspapers Association

(a) Shri Ratilal Sheth, Janmabhoomi, Bombay.

(b) Shri K. S. Deshpande, Marathwada, Aurangabad.

Nominees of the Government

(a) Shri Chandulal Chandrakar, M.P. (Lok Sabha)

(b) Shri Era Sezhiyan, M.P. (Lok Sabha)

(c) Shri J. S. Tilak, M.P. (Rajya Sabha)

(d) Shri T. R. Ramaswami, representative of Indian Federation of Working Journalists.

(e) Shri B. N. Azad, President of all India Newspapers Editors Conference.

(f) Shri Nikhil Chakravarti, Editor "Main Streem"

(g) Shri Abid Ali, "Siasat", Hyderabad

(h) Shri Sadhu Singh Hamdard, Editor "Ajeet", Jullundur

(i) Shri M. Shanmugavel, Editor "Makkal Kural", Madras

OFFICIAL MEMBERS

(a) Representative of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)

(b) Representative of Ministry of Industry & Civil Supplies

(c) Representative of the State Trading Corporation of India

(d) Representative of the Chief Controller of Imports & Exports

(e) Representative of the Ministry of Information and Broadcasting (Joint Secretary Information)

(f) Registrar of Newspapers for India, who will also be the Secretary of the Committee.

The Chairman will have the powers to co-opt additional Members and to invite such officials and non-officials to attend the meeting as he considers appropriate.

The term of membership of non-official Members will be two years from the date of appointment but the retiring Members will be eligible for reappointment.

Membership of the Committee will be honorary, but non-official Members will be entitled to travelling allowance and daily allowance in accordance with the Ministry of Finance, Office Memorandum No. F.6(26)/E.IV/59, dated 5-9-1960, as mended from time to time.

The Committee will ordinarily meet twice a year.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. S. CHIB,
Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975